महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा की वर्ष 2011–12 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

———

देश के बच्चें व महिलाएं वस्तुतः देश का अधिक मुल्यवान संसाधान होते है और हमारे विकास की प्रक्रिया बच्चों व महिलाओं के समेकित विकास पर आधारित है। महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के समुचित विकास के लिए कई योजनाएं लागू की है तथा बहुत कम समय में बहुत उपलब्धियां प्राप्त की है जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार हैः–

बजट व्यवस्था

महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा के वर्ष 2011–12 के मूल बजट में कुल 54638.55 लाख रू0 की राशि की व्यवस्था की गई, जिसमें से 19200.00 लाख रू0 स्टेट प्लान, 27166.00 लाख रू0 सैन्ट्रल प्लान तथा 8272.85 लाख रू0 नान प्लान शीर्षो के अन्तर्गत रखे गये। विभाग का संशोधित बजट 60042.62 लाख रू0 था, इसमें से 20506.26 लाख रू0 स्टेट प्लान 29050.60 लाख रू0 सैन्ट्रल प्लान तथा 10485.76 लाख रू0 नान प्लान शीर्षों के अन्तर्गत रखे गए। वर्ष 2011–12 में स्टेट प्लान के अन्तर्गत 17906.13 लाख रू0, सैन्ट्रल प्लान के अंर्तगत 24075.38 लाख रू0 तथा नॉन प्लान के अन्तर्गत 9094.67 लाख रू0 अर्थात कुल 51076.18 लाख रू0 विभिन्न योजनाओं पर व्यय किए गए। वर्ष 2011–12 के दौरान बजट व्यवस्था एवं व्यय विवरण परिशिष्ट 'क' पर दिया गया है। विभाग द्वारा चलाई गई योजनाओं का विवरण निम्न प्रकार से है :–

1– लाडली

इस योजना के अन्तर्गत परिवार में दूसरी बेटी के जन्म पर माता–पिता को 5000/–रू0 प्रति वर्ष 5 वर्ष तक दिए जाते हैं। हरियाणा के निवासी/अधिवासी सभी माता–पिता, जिनकी दूसरी बेटी 20–8–2005 को या इसके बाद पैदा हुई है, बिना किसी जाति/समुदाय/धर्म/आय एवं बेटों की संख्या के भेदभाव के, इस नकद प्रोत्साहन के पात्र हैं। इस योजना के अंतर्गत राशि को अगस्त, 2008 से लाभपात्रों को अधिक लाभ पहुंचाने के लिये भारतीय जीवन बीमा निगम की एक योजना में निवेश करना आरम्भ किया है। राज्य सरकार द्वारा इस योजना को अगले 5 वर्षो के लिए बढ़ा दिया गया है। इस राशि को दूसरी बेटी के नाम माता/पिता/संरक्षक के माध्यम से तथा परिपक्व राशि छोटी बेटी की 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने एवं अविवाहित रहने पर वर्तमान ब्याज दरों पर लगभग 96000/–रू0 दी जाएगी।

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 में 5352.21 लाख रू0 की राशि व्यय की गई तथा 153179 परिवारों को योजना का लाभ प्रदान किया गया जिसमे पिछले वर्षो 2007–08 से 2011–12 के लाभपात्रों को दी गई किस्तें भी शामिल हैं ।

2. समेकित बाल विकास सेवाएं योजना

केन्द्रीय प्रायोजित समेकित बाल विकास सेवाएं योजना के अन्तर्गत राज्य में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों एवं गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं तथा 15–45 वर्ष आयु की अन्य महिलाओं को पूरक पोषाहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, संदर्भित सेवाएं, स्वास्थ्य एवं पोषाहार शिक्षा तथा अनौपचारिक पूर्व स्कूल शिक्षा की सेवाऐं समेकित रूप से प्रदान की जाती हैं।

इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:–

- 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों की पोषण तथा स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाना।
- बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए नींव रखना।
- मृत्युत्ता, मानसिक अस्वस्थता, कुपोषण और स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में कमी करना।
- बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति और क्रियान्वयन में प्रभावकारी समन्वय करना।
- उचित पोषाहार और स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य और पोष्टिक आवश्यकताओं की देखभाल के लिए माताओं को योग्य बनाना।

आई. सी. डी. एस. परियोजनाओं एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या का जिलावार व्यौरा निम्न प्रकार से है:–

जिला	आई.सी.डी.एस. प्रोजैक्टों की संख्या	आगंनवाड़ी केन्द्रों की संख्या	
		स्वीकृत	चालू
अम्बाला	7	1218	1200
भिवानी	12	1915	1913
फरीदाबाद	6	1295	1287
गुड़गांव	6	1015	1013
हिसार	10	1742	1698
जीन्द	9	1439	1438
कुरूक्षेत्र	6	1075	1073
करनाल	7	1482	1473
नारनौल	6	1167	1144
पानीपत	6	1032	1027
पंचकुला	4	534	519
रोहतक	6	1004	974
रेवाड़ी	6	1095	1090
सोनीपत	9	1479	1440
सिरसा	8	1344	914
यमुनानगर	7	1250	1200

फतेहाबाद	6	1055	1015
झज्जर	7	1085	1066
कैथल	7	1264	1253
मेवात	7	1102	1008
पलवल	6	1107	1103
कुल	148	25699	24848

जिलावार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं आंगनवाड़ी सहायिकाओं के स्वीकृत एवं भरे हुए पदों का विवरण निम्न प्रकार है :–

(मार्च, 2011 की स्थिति)

क्र.स.	जिला का नाम	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता		आंगनवाड़ी सहायिका	
		स्वीकृत पद	भरे हुए पद	स्वीकृत पद	भरे हुए पद
1.	अम्बाला	1218	1200	1173	1146
2.	भिवानी	1915	1913	1883	1877
3.	फरीदाबाद	1295	1287	1279	1274
4.	गुड़गांव	1015	1013	1006	996
5.	हिसार	1742	1698	1722	1635
6.	जीन्द	1439	1438	1434	1428
7.	कुरूक्षेत्र	1075	1073	1044	1027
8.	करनाल	1482	1473	1457	1455
9.	नारनौल	1167	1144	1161	1148
10.	पानीपत	1032	1027	1027	1024
11.	पंचकुला	534	519	401	392
12.	रोहतक	1004	974	1000	973
13.	रेवाड़ी	1095	1090	1078	1065
14.	सोनीपत	1479	1440	1477	1422
15.	सिरसा	1344	914	1313	961
16.	यमुनानगर	1250	1200	1214	1148
17.	फतेहाबाद	1055	1015	1038	938
18.	झज्जर	1085	1066	1078	1030
19.	कैथल	1264	1253	1242	1221
20	मेवात	1102	1008	1072	976
21	पलवल	1107	1103	1088	1065
	कुल	25699	24848	25187	24201

राज्य की 148 परियोजनाओं में 25223 आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 1146177 छः मास से छः वर्ष आयु तक के बच्चों जिसमें 536181 लड़कियां हैं, को तथा 153051 गर्भवती महिलाओं एवं 172719 दूध पिलाने वाली माताओं को पूरक पोषाहार दिया गया।

भारत सरकार द्वारा 1.4.2005 से राज्य सरकारों को पूरक पोषाहार के लिए वास्तविक व्यय का 50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता देने का निर्णय लिया गया, जोकि अनुमोदित नारमज एवं वर्ष में पूरक पोषाहार देने के दिनों पर आधारित होगा। इस वित्त वर्ष में राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय स्तर में पूरक पोषाहार के मद में 8550 लाख रु0 की राशि व्यय की गई।

पंजीरी प्लांटः– राज्य में 2 पंजीरी प्लांट गुड़गांव तथा घरौण्डा में चलाये जा रहे हैं जिनमें समेकित बाल विकास सेवायें योजना के लाभपात्रों के लिए पौष्टिक पंजीरी तैयार की जाती है। इन पंजीरी प्लांटों में वर्ष 2011–12 में कुल 17907.11 क्विंटल पंजीरी का उत्पादन किया गया।

पंजीरी प्लांट गुड़गांव में 8323.26 क्विंटल पंजीरी का उत्पादन तथा घरौण्डा में 9583.85 क्विंटल पंजीरी का उत्पादन किया गया। वर्ष 2011–12 में पंजीरी प्लांट, गुड़गांव 257 दिन चला तथा घरौण्डा प्लांट 280 दिन चला। पंजीरी प्लांटों का व्यय पूरक पोषाहार पर हुए व्यय में शामिल है।

i) पूरक पोषाहार को लागू करने के लिए नए कदम

भारत सरकार द्वारा पूरक पोषाहार की पोषण एवं वित्तिय दरों में संशोधन किया गया। राज्य सरकार द्वारा संशोधत दरों के अनुसार नई रैसिपीज का चयन किया गया है। 3 से 6 वर्ष के बच्चो ंको दिन में दो बारे (Morning Snacks and Regular Meal) दिया जा रहा है। 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों एवं गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं को Take Home Ration (THR) दिया जा रहा है। कार्यक्रम में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व तथा समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए खाद्य पदार्थों को आंगनवाड़ी केन्द्रों में ही स्टोर किया जाएगा एवं बनाया जाएगा। जिससे लाभपात्रों को पोषाहार की अच्छी क्वालिटी एवं उचित मात्रा सुनिश्चित की जा सकेगी।

आंगनवाड़ी केन्द्रों को आकर्षक बनाने एवं बच्चों की उपस्थिति नियमित बनाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के आंगनवाड़ी सैंन्टरों में बच्चों के लिए उप समितियों के माध्यम से 5000/–रूपये प्रति आंगनवाड़ी सैंन्टर की दर से झूले खरीदने का निर्णय लिया गया।

अब सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है, कि जहां तक संभव हो आंगनवाड़ी केन्द्रों को स्कूल भवनों मं खोला जाना चाहिए ताकि आंगनवाड़ी केन्द्रों में आने वाले बच्चे अपने आप स्कूलों में चले जाएं इन प्रयत्नों से आंगनवाड़ी केन्द्रों में आने वाले 3–6 साल के बच्चों की उपस्थिति में सुधार आएगा।

0–6 वर्ष के आगंनवाड़ियों के 438425 बच्चों को पोलियो, व डी.पी.टी, 436676 बच्चों को बी.सी. जी. 476647 बच्चों को मीज़ल के टीके तथा 423091 गर्भवती महिलाओं को टी.टी. के टीके लगवाए गए। वर्ष के दौरान 441680 बच्चों को अनौपचारिक पूर्व स्कूली शिक्षा के अन्तर्गत लाभ प्रदान किया गया।

ii) ग्राम स्तरीय कमेटी

आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम का विकेन्द्रीयकरण कर इसे समुदाय द्वारा संचालित किया जाने वाला कार्यक्रम बनाया गया। हरियाणा सरकार द्वारा बच्चों एवं महिलाओं के विकास के कार्येक्रमों को सुविधा पूर्वक लागू करने के लिए महिला–समितियों का गठन किया गया। इस कमेटी में गांव की महिला सरपंच, सभी महिला पंच, महिला अध्यापिका, मल्टीपरपज हैल्थ वर्कर, महिला मण्डल की प्रधान, गांव के सभी स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष या प्रधान, सभी आशा, युद्व विधवायें, साक्षर महिला समूह की प्रधान व समूह की 3 सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी किशोरियां, गैर सरकारी संस्थाओं के अध्यक्ष, गांव का चौकीदार तथा सभी आंगनवाड़ी वर्कर इसके सदस्य बनाए गए और इसे हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 के सैक्शन 22 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत की उप समिति घोषित किया गया।

राज्य सरकार द्वारा किये गये कार्यो के निर्वहन के लिए सरकारी सहायता प्राप्त करने हेतु इन समितियों द्वारा अपने बैंक खाते खुलवाए गए। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पंचायतों को सौंपे गये महत्वपूर्ण कार्यों का निर्वहन इस समिति द्वारा किये गया, जिसमें आंगनवाड़ी केन्द्रों एवं उनकी गतिविधियों का निरीक्षण, आंगनवाड़ी स्टाफ को मानदेय की अदायगी व आंगनवाड़ी कार्यकताओं तथा हैल्परों की नियुक्ति के कार्य को शामिल किया गया। इन समितियों को सशक्त एवं सक्रिय करने के लिए निम्नलिखित पग उठाए गए हैः–

- ग्राम स्तरीय कमेटी एवं साक्षर महिला समूहों के सदस्यों को कार्यक्रम को चलाने में उनकी शक्तियों एवं जिम्मेदारी के प्रति जागरूक करने के लिए खण्ड एवं सर्कल स्तर पर उनकी बैठक होगी।
- सभी सदस्यों की सामूहिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उनकी बैठकें होगी और उनके कनवीनर को बारी–बारी से बदला जाएगा।
- ग्राम स्तरीय कमेटी के पास उपलब्ध राशि में से, पूरक पोषाहार को बनाने एवं बांटने के लिए बर्तन उपलब्ध करवाए जाएंगे।

वर्ष 2011–12 में योजना के तहत 5.00 लाख रू0 व्यय किए गए, तथा 6033 ग्राम स्तरीय कमेटी का गठन किया गया।

iii) साक्षर महिला समूह

राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत व इसकी उप समिति को सौंपे गए कार्यो के प्रभावी–निर्वहन में आवश्यक सहायता देने के लिए प्रत्येक गांव में शिक्षित महिलाओं का एक समूह ''साक्षर महिला समूह'' का गठन किया गया। गांव में उप समिति द्वारा सभी शिक्षित महिलाओं को संगठित कर उनका नामांकन किया गया, जिसमें गांव की कम से कम मैट्रिक पास प्रत्येक महिला एवं +2 स्तर में पढ़ रही प्रत्येक बालिका व किशोरी शक्ति योजना के बालिका मंडल की पूर्व सदस्याएं इसकी अनिवार्य सदस्या होंगी। साक्षर महिला समूह गांव में मुख्य मुद्दे जैसा कि लिंग अनुपात, साक्षरता, प्राथमिक शिक्षा का सर्वभौमीकरण, स्वास्थ्य तथा पोषाहार शिक्षण, महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण के अवसर, स्वच्छता एवं सफाई, पर्यावरण व सरकार द्वारा चलाई जा रही महिलाओं व बालिकाओं एवं बच्चों व ग्रामीण

समुदाय के विकास की योजनाओं आदि के बारे चेतना जागृत करता है। वर्ष 2011–12 में 6279 साक्षर महिला समूह रजिस्ट्रर्ड हैं एवं 5.00 लाख रू0 व्यय किए गए।

vi) दिवस एवं सप्ताह

वर्ष 2011–12 के दौरान राज्य में स्तनपान सप्ताह, राष्ट्रीय पोषाहार सप्ताह, बाल दिवस एवं अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस आदि मनाए गए। इन अवसरों पर महिलाओं में बच्चों एवं महिलाओं के विषयों पर जागृति लाने के लिए समेकित बाल विकास सेवाएं योजना के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित की गई। खाद्य एवं पोषाहार बोर्ड भारत सरकार चण्डीगढ़ इकाई द्वारा आयोजित वर्कशाप/कार्यक्रमों में विभाग के अधिकारियों द्वारा भी भाग लिया गया। 1 से 7 अगस्त 2012 तक स्तनपान सप्ताह मनाया गया जिसकी थीम "Breastfeeding – Anital Emerqency Response" are you ready ?, था। इस अवसर पर गांव व ब्लॉक स्तर पर पर स्वास्थ्य अमले के सहयोग से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा स्तनपान के बारे में प्रचार किया गया तथा 1 से 7 सितम्बर 2011 तक मनाये गये राष्ट्रीय सप्ताह पोषाहार सप्ताह की थीम 'उत्तम पोषाहार – स्वास्थ जीवन का आधार' था इस अवसर पर अच्छे भोजन के बारे में गांव स्तर पर कैम्प लगा कर तथा ब्लॉक स्तर पर विभिन्न श्लोगन प्रतियोगिता कम मुल्य की रैस्पी व गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं व बच्चों की पोषाहार आवश्यकता बारे प्रचार किया गया।

महिला सम्मान दिवस 26 मार्च, 2012 को 'महिला सम्मान समारोह' झज्जर में आयोजित किया गया जिसमें राज्य की विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां प्राप्त करने वाली 40 महिलाओं को सम्मानित किया गया व महिलाओं के लिए खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

vii) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पुरस्कार

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने एवं उनके स्वैच्छिक कार्य को मान्यता देने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा चयनित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को उनकी लगन एवं अनुकरणीय उपलब्धियों के आधार पर वार्षिक पुरस्कार दिये जाते हैं। इसके अन्तर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 2500/–रू0 का राज्य स्तरीय पुरस्कार तथा 25000/–रू0 का राष्ट्रीय पुरस्कार तथा प्रशस्ति पत्र देने का प्रावधान है। अतः वर्ष 2011–12 में 5000/–रू0 की दर से 19 प्रोजैक्टों की 26 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किए गए,

इन 26 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का पुरस्कारों के लिए चयन एक प्रतियोगी परीक्षा एवं उनकी उपलब्धियों एवं योगदान के आधार पर किया गया तथा इसमें 3 कार्यकर्ताओं का मैरिट आधार पर चयन किया गया, जिनके नाम भारत सरकार को राष्ट्रीय पुरस्कार हेतू भेजे गए। इस योजना के अन्तर्गत 1.49 लाख रू0 की राशि राज्य स्तरीय पुरस्कारों के लिए स्वीकृत की गई, जिसमें से 1.30 लाख रू0 पुरस्कारों के रूप में तथा 19/– लाख रू0 जिला स्तर पर पुरस्कार वितरण समारोह के आयोजनो पर व्यय किये गये।

viii) आई0सी0डी0एस0 योजना के अन्तर्गत व्यय

वर्ष 2011–12 के दौरान आई.सी.डी.एस. योजना पर राज्य स्तर एवं केन्द्र स्तर में किए गए व्यय का विवरण निम्न प्रकार हैः– (लाख रू0 में)

योजना	स्टेट प्लान	सैन्ट्रल प्लान	नॉन प्लान	कुल
आई.सी.डी.एस.	2191.98	16810.31	8145.10	27147.39
पूरक पोषाहार	6137.65	6137.65	105.64	12380.94
कुल	8329.63	22947.96	8250.74	39528.33

XI) रक्त अल्पता (अनेमियां) की रोकथाम हेतु विशेष योजना

राज्य सरकार द्वारा एक मुख्य पहल के अन्तर्गत महिलाओं तथा बच्चों में अनिमिया को रोकने के लिए विशेष योजना चलाई गई जिसके अन्तर्गत पोषक तत्व जैसा कि आयरन फोलिक एसिड, विटामिन–ए एवं डीवार्मिंग टेबलेटस आदि 18 वर्ष आयु के सभी बच्चों, गर्भवती एवं दुधपिलाने वाली माताओं व किशोरी बालिकाओं को दिया गया। आंगनवाड़ी वर्कर द्वारा लाभपात्रों को आयरन एवं फोलिक एसिड, गोलियां सप्ताह में एक बार। स्वास्थ्य विभाग से तालमेल कर वर्ष में दो बार बच्चों (1–6 वर्ष) एवं किशोरी बालिकाओं के लिए पेट के कीड़े निवारक छः माही सैशन चलाया गया। 9 मास से 5 वर्ष आयु के बच्चों को विटामिन–ए की खुराक ए0एन0एम0/आंगनवाडी वर्कर के द्वारा प्रतिरक्षण शैडयूल के अनुसार दी गई। यह भी निर्णय लिया गया कि आई0 सी0 डी0एस0 एरिया में 0–6 वर्ष तक की आयु के बच्चों, गर्भवती व दुघपिलाने वाली माताओं व किशोरी शक्ति योजना की किशोरी बालिकाओं को दवाईयां महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वितरित की जाये, जबकि आई0 सी0 डी0एस0 एरिया में 6–18 वर्ष के बच्चों एवं नोन–आई0 सी0 डी0एस0 एरिया में 18 वर्ष के बच्चों, गर्भवती व दुघ पिलाने वाली माताओं को स्वास्थ्य विभाग द्वारा कवर किया किया गया।

XI) बीमा योजना– आंगनवाड़ी कार्यकत्री बीमा योजना

भारत सरकार के भारतीय जीवन बीमा निगम, महिला और बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से आंगनवाडी कार्यकताओं तथा हैल्परों के लिए बीमा योजना का संचालन दिनांक 1.04.2004 को किया गया। यह योजना 18–59 के आयु वर्ग लिए है और आंगनवाडी वर्कर व हैल्पर के लिए 2013 तक निशुल्क है। बीमा योजना के अन्तर्गत 200/– रूपये का कुछ वार्षिक प्रीरियम निम्न अनुपात में आबंटित होता है।

1. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 100/–
2. सामाजिक सुरक्षा फण्ड एल0आई0सी0 द्वारा संचालित 100/–

आंगनवाडी कार्यकत्री बीमा योजना की विशेषताएं निम्न प्रकार हैः–

1. प्राकृतिक मृत्यू 30,000/–
2. दुर्घटना मृत्यू/सम्पूर्ण स्थाई अपंगता 75,000/–
3. आंशिक स्थाई अपंगता 37,500/–
4. महिला गम्भीर बीमारी लाभ 20,000/–

शिक्षा सहयोग योजनाः– योजना के तहत बीमित सदस्यों के बच्चों के लिए मुफ्त ऐड आन छात्रवृति लाभ उपलब्ध है जहां 9वीं से 12वीं कक्षा (आई0टी0आई0 कोर्सिज भी शामिल है) के विद्यार्थियों को 100/– रूपये महीना छात्रवृति दी जाती है जोकि परिवार के दो बच्चों तक सीमित है।

xii) सुरक्षित भविष्य योजना

राज्य सरकार द्वारा आंगनवाड़ी वर्करों तथा हैल्परों के कल्याण हेतु एक नई सुरिक्षत भविष्य योजना 1.1.2008 से आरम्भ की गई है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक आंगनवाड़ी वर्कर तथा हैल्पर जिसने 1.1.2008 को एक वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, के लिये 100/– रू0 की राशि प्रतिमास भारतीय जीवन बीमा के पास निवेश की जायेगी जिसमें से 83/– रू0 की राशि प्रत्येक वर्कर/हैल्पर के लिये बचत के रू॰ में तथा 17/– रू0 की राशि रिस्क प्रीमियम के रूप में रखी जायेगी। किसी भी वर्कर/हैल्पर की अचानक मृत्यु होने पर 50,000/– रू0 की राशि बीमे के रूप में प्रदान की जायेगी तथा बचत की कुल एकत्रित हुई राशि 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत होने पर ब्याज सहित उसे प्रदान की जा सकेगी।

इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2011–12 में 409.42 लाख रूप्ये की राशि व्यय की गई तथा 17444 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व 17192 हैल्पर को लाभ प्रदान किया गया ।

x) आई.सी.डी.एस. कार्यकताओं हेतु प्रशिक्षण प्रोग्राम

आई0सी0डी0एस0 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना एक नियमित गतिविधि है तथा प्रशिक्षण देने के लिए राज्य में कुल 10 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र चलाये जा रहे है जिनमें से 8 हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा तथा दो प्रशिक्षण केन्द्र कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक निधि द्वारा रादौर में चलाए जा रहे हैं। वूमैन एवैयरनैस एण्ड मैनेजमैंट अकादमी (वामा), राई जिला सोनीपत के माध्यम से आई0सी0डी0एस0 सुपरवाईजरों के लिए एक मध्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र भी चलाया जा रहा है।

वर्ष 2011–12 में 2435 आंगनवाडी कार्यकर्ताओं को कार्य प्रशिक्षण, 3602 हैल्परज को ओरियनटेशन कोर्स तथा 163 हैल्परों को रिफ्रैशर प्रशिक्षण दिलावाया गया। इसके अतिरिक्त 452 सुपरवाईजरों को रिफ्रेशर प्रशिक्षण दिलवाया गया तथा 3 बाल विकास परियोजना अधिकारियों को निपसिड, नई दिल्ली में जाब प्रशिक्षण तथा 15 बाल विकास परियोजना अधिकारियों को रिफ्रेशर प्रशिक्षण दिलवाया गया। विभाग द्वारा नियमित प्रशिक्षण गतिविधियों हेतू 130.29 लाख रु0 जारी किए जिसका व्यय ब्योरा निम्न प्रकार हैः–

वर्ष 2011–12 में संस्थाओं को प्रदान की गई राशि का ब्यौरा निम्न प्रकार से हैः–

क्रमांक	संस्था का नाम	राशि (लाख रूपए में)
1.	हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद, चण्डीगढ़	75.00
2.	कस्तूरबा गांधी नैशनल मैमोरियल ट्रस्ट, रादौर I + II	37.30
3.	मिडल लेवल ट्रेनिंग सैन्टर, राई, (सोनीपत)	5.29
4.	विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय के लिए	12.70
कुल		130.29

3. आँगनवाड़ी भवनों का निर्माण

बच्चों को स्वच्छ एवं साफ–सुथरा वातावरण प्रदान करने एवं उनके लिए एक परिसम्पति सृजित करने हेतू वर्ष 2002–03 से आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण की योजना प्रारम्भ की गई।

विभाग द्वारा अपनाए गए मानदण्डों के अनुसार आँगनवाड़ी भवन उन गाँवों में बनाए जाते हैं जहां पर पंचायत कम से कम 200 वर्ग गज भूमि निःशुल्क उपलब्ध करवाती है

वर्ष 2011–12 से आंगनवाड़ी भवन निर्माण के लिए निर्माण लागत 6.63 लाख से बढ़ा कर 8.50 लाख रूपये प्रति आंगनवाड़ी भवन किया गया तथा राज्य में स्तर में 188 आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण के लिए 1598.00 लाख रू0 की राशि राज्य के अतिरिक्त उपायुक्तों को जारी की गई। राज्य सरकार द्वारा उन गांवों के लिए जिनमें अनुसूचित जाति की संख्या 30 से 50 प्रतिशत है शैडयूल कास्ट कम्पोनेंट प्लान (SCCP) के अन्तर्गत 50 आंगनवाड़ी केन्द्र बनवाने के लिए 2.00 करोड़ रू0 का प्रस्ताव दिया गया

4. किशोरी शक्ति योजना

11–18 वर्ष की किशोर बालिकाओं के पोषाहार एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने, उनको गृह आधारित एवं व्यवसायिक कुशलताओं से सुसज्जित करने व इनमें सुधार लाने तथा स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषाहार, गृह प्रबन्ध, बाल देखभाल तथा 18 वर्ष की आयु होने पर या इससे अधिक आयु में विवाह करवाने बारे जागृति उत्पन्न करने के उद्देश्य से वर्ष 1993–94 से हिस्से के आधार पर किशोरी बालिका योजना लागू की गई। सर्वप्रथम यह योजना सिरसा जिले के 4 आई0 सी0 डी0 एस0 प्रोजेक्टों में चलाई गई थी। इस योजना का आगे विस्तार किया गया और राज्य के 12 शहरी आई.सी.डी.एस. प्रोजैक्टों सहित 128 आई.सी.डी.एस. प्रोजैक्टों में चलाई जा रही है। स्कीम के अन्तर्गत सेवाएं 10 प्रतिशत आंगनवाड़ी केन्द्रों में 6 मास के लिए 20 किशोरी बालिकाओं का बालिका मण्डल बनाकर प्रदान की जाती हैं। अतः एक आंगनवाड़ी केन्द्र में वर्ष भर में 40 किशोर बालिकाओं को दो बैचों में कवर किया जाता है। लड़कियों को 5.00 रू0 प्रतिदिन प्रति लाभपात्र की दर से पूरक पोषाहार भी दिया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य में 87 समेकित बाल विकास परियोजनाओं में 1527 बालिका मण्डल कार्यरत हैं तथा इनमें किशोरी शक्ति योजना भाग–2 (बालिका मण्डल अप्रोच) लागू किया जा रहा है।

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 में 336.80 लाख रू0 व्यय किए गए जिसमें से 289.00 लाख रू0 पूरक पोषाहार पर राज्य सरकार के हिस्से के रूप में व्यय किए गए। योजना के अन्तर्गत 53697 बालिकाओं को पूरक पोषाहार और 53633 बालिकाओं को गृह आधारित कुशलताओं पर प्रशिक्षण देने के साथ–2 स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषाहार एवं बाल देखभाल आदि के ज्ञान से सुसज्जित किया गया।

5. किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना (सबला)

राज्य सरकार द्वारा किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना (सबला) 6 जिलों अम्बाला, हिसार, रिवाड़ी, रोहतक, यमुनानगर तथा कैथल में लागू की गई है। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही यह एक पायलट परियोजना है। इस योजना का उद्देश्य किशोरी बालिकाओं को अपनें विकास तथा सशक्तिकरण, जीवन निपुणता तथा व्यवसायिक निपुणता को बढ़ाने, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषाहार, प्रजनन स्वास्थ्य बाल रेख–रेख के प्रति जानकारी में सक्षम करना तथा स्कूल न जाने

वाली किशोरी बालिकाओं को ओपचारिक/अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत पोषाहार के तहत 78341 बालिकाओं को लाभ दिया गया। इस योजना के अंतर्गत दी गई विभिन्न गतिविधियों की पहचान बारे पहला राज्य स्तरीय अधिवेशन आयोजित किया गया ताकि लाभपात्रों की हिस्सेदारी तथा क्षमता निर्माण को सुनिश्चित किया जा सके। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2011–12 के बजट में 959.29 लाख रू0 खर्च किए गए।

6. समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.)

राज्य सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2010 से समेकित बाल संरक्षण योजना को लागू किया गया है। यह एक ऐसी योजना है जिसके तहत जरूरतमंद बच्चों की देखरेख व कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों से संबंधित विभिन्न योजनाओं को कवर किया जाऐगा। यह कार्यक्रम हरियाणा स्टेट प्रोटेक्शन सोसाइटी, जो कि पहले ही पंजीकृत की गई, के माध्यम से चलाया गया है। जिला स्तर पर इस योजना को लागू करने के लिए जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला बाल संरक्षण समिति तथा जिला बाल संरक्षण कमेटी का गठन किया जा रहा है। राज्य स्तर पर स्टेट प्रोजेक्ट स्पोर्ट यूनिट की स्थापना की गई है। इस योजना के अंतर्गत जरूरमंद बच्चों को उनकी देखरेख व सुरक्षा के लिए संस्थागत तथा नान–संस्थागत देखरेख उपलब्ध करवाई जा रही है। नान–संस्थागत देखरेख उपलब्ध करवाने के लिए स्टेट अडोपशन रिसोर्स ऐजेन्सी की स्थापना की गई है। जिसके तहत प्रत्येक जिले में विशेष एडोप्सन एजेन्सी स्थापित की जायेगी। चालु संस्थानों को मजबूत तथा सुचालक बनाने के लिए जरूरतमंद बच्चों की देखरेख व सुरक्षा के लिए अधिक संस्थागत प्रबंध किए गए है। राज्य सरकार द्वारा 5.68 करोड़ रू0 की राशि से निरीक्षण होम अम्बाला तथा हिसार के नऐ भवनों का निर्माण किया गया है। 2.23 करोड़ रू0 की राशि से स्टेट आफ्टर केयर होम सोनीपत के नए भवन का निर्माण किया जाएगा। वर्ष 2011–12 में भारत सरकार द्वारा बाल देखरेख संस्था रोहतक व हांसी तथा ओबजरवेशन होम करनाल में स्वीकृति किए गए है।

राज्य सरकार द्वारा किशोरों को सुविधाएँ उपलब्ध करवाने के लिए किशोर न्याय फण्ड स्थापित किए गए है। किशोर नयाय अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए किशोर अधिनियम के तहत राज्य सरकार द्वारा स्टेट एडवाजरी कमेटी को भी नोटिफाइड किया गया है। राज्य के सभी जिलों में किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया गया। जरूरमंद बच्चों की देखभाल तथा संरक्षण की तरफ ध्यान देने हेतु सभी जिला में बाल कल्याण समितियां गठित की गई है। वर्ष 2011–12 के बजट में 650 करोड़ रू0 की राशि का प्रस्ताव किया गया है। वर्ष 2012–13 के बजट में 1307.50 करोड़ रू0 की राशि का प्रस्ताव किया गया है।

किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख एवं सरंक्षण) अधिनियम–2000

किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख एवं सरंक्षण) अधिनियम–2000 राज्य में 1.4.2001 से लागू है। अधिनियम की धारा–8 (1) के अंतर्गत में राज्य सरकार द्वारा स्थापित है। जिला अम्बाला, हिसार, फरीदाबाद में (लड़कों के लिये) तथा करनाल में (लड़कियों के लिये) ओबजरवेशन होम राज्य सरकार

द्वारा स्थापित है तथा जहां पर 18 वर्ष तक की आयु के किशोरों कों, जिनके केस विभिन्न किशोर न्याय बोर्डो में विचारधीन होते है, को किशोर न्याय बोर्ड के आदेशानुसार प्रवेश देकर आवास, भोजन, चिकित्सा, मनोरंजन आदि की सुविधायें प्रदान करते हुये रखा जाता है। वर्ष 2011–12 में 84.65 लाख रूपयें खर्च किये गये।

i) ओबजरवेशन होम, करनालः– राज्य में 18 वर्ष से कम आयु की विधि का उल्लघंन करने वाली लड़कियों को ओबजरवेशन होम, करनाल में प्रवेश दिये जाने का प्रावधान है। ओबजरवेशन होम, करनाल में 25 लड़कियों की क्षमता है तथा जुवेनाईल जसिटस बोर्ड के आदेशों से किशोरियों को इस संस्था में प्रवेश देय है ।

ii). ओबजरवेशन होम, फरीदाबादः– ओबजरवेशन होम, फरीदाबाद में जुवेनाईल जस्टिस बोर्ड के आदेशों से 25 लड़कों को प्रवेश दिया जा सकता है जिसके विरूद्व वर्ष 2011–12 में संवासियों की संख्या 45 रही ।

iii). ओबजरवेशन होम, अम्बाला तथा हिसारः– जिला अम्बाला तथा हिसार में प्रत्येक में 50 संवासियों की क्षमता का ओबजरवेशन स्थापित करने हेतु अम्बाला में डेढ एकड़ भूमि राजस्व विभाग ने तथा हिसार में दो एकड़ एक मरला भूमि पशू पालन विभाग ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को निशुल्क दी है। दिनांक 22.08.2010 में ओबजरवेशन होम सोनीपत तथा विशेष गृह सोनीपत के संवासियों को अम्बाला में स्थानान्तरण किया गया तथा संवासियों की संख्या 59 रही। दिनांक 15.8.2011 से हजला हिसार ओबजरवेशन होम स्थापित है।

iv). विशेष गृह, अम्बालाः– किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख एवं सरंक्षण) अधिनियम–2000 की धारा–9 के अंतर्गत 25 संवासियों की क्षमता के साथ विशेष गृह अम्बाला में स्थापित है। जहां सजायफता किशोरों को किशोर न्याय बोर्ड के आदेशानुसार उनकी सजा की अवधि तक आवास, भोजन, वस्त्र, शिक्षण प्रशिक्षण की सुविधायें मुफ्त में प्रदान की जाती है। वर्ष 2011–12 में 9.10 लाख रूपयें खर्च किये गये तथा संवासियों की संख्या 9 रही। इस राशि में प्रशासनिक खर्चो भी शमिल है।

v). राजकीय उत्तर रक्षा गृह, सोनीपतः– इस गृह में बाल गृह/ विशेष गृह से रिहा हुये किशोरों तथा बेसहारा विधवाओं के बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। यहां उन्हें आवास भोजन वस्त्र शिक्षा आदि की सुविधायें मुफ्त प्रदान की जाती है संवासियों को सरकारी स्कूल के माध्यम से कक्षा 12 वीं तक शिक्षा तथा इच्छुक संवासियों को आई.टी.आई. में प्रवेश दिलाकर तकनीकी शिक्षा दिलवाई जाती है।

संस्था को अधिनियम की धारा 44 के अंतर्गत नोटीफाई किया गया है। वर्ष 2011–12 में 29.89 लाख रूपयें खर्च किये गये तथा संवासियों की संख्या 31 रही।

vi). स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे गृहों की सूचना निम्न अनुसार हैः–

(क) आश्रय गृह, रिवाड़ी तथा आश्रय गृह छछरौली

आश्रय गृह, रिवाड़ी में संवासियों की क्षमता 25 तथा छछरौली में संवासियों की क्षमता 50 है जिसके विरूद्व वर्ष 2011–12 में रिवाड़ी में 6 तथा छछरौली में 38 संवासियों को प्रवेश दिया गया ।

(ख) बाल गृह, रिवाड़ी तथा बाल गृह छछरौली

बाल गृह रिवाड़ी में 50 संवासियों तथा बाल गृह छछरौली में 150 की क्षमता के विरूद्व वर्ष 2011–12 में बाल गृह, रिवाड़ी में 33 तथा बाल गृह, छछरौली में 96 संवासियों को प्रवेश दिया गया तथा 36.42 लाख रूप्ये सहायक अनुदान के रूप में स्वीकृत किए गए बाल गृह/आश्रय गृह, छछरौली और रिवाड़ी को वर्ष 2011–12 में 33.00 लाख रूपयें का सहायक अनुदान स्वीकृत किया गया।

उक्त के अतिरिक्त किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2000 के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक जिले में किशोर न्याय बोर्ड स्थापित किये गये। जिसमें संबंधित जिला के चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रैट प्रिसिपल मैजिस्ट्रेट है। किशोर न्याय बोर्ड विधि का उल्लघंन करने व किशोरों के मामलों में विचार करके निर्णय देते है।

राज्य के प्रत्येक जिले में संबंधित उपायुक्त की अध्यक्षता में बाल कल्याण समिति गठित की गई है जो उपेक्षित बच्चों के मामलों में विचार करके उन्हें आश्रय गृह छछरौली/रिवाड़ी में प्रवेश हेतु भेजते है।

बाल गृह के निरीक्षण हेतु जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में रिवाड़ी तथा छछरौली में निरीक्षण कमेटी गठित है।

हरियाणा राज्य में निम्न स्वैच्छिक संस्थाओं को बच्चों को गोद देने हेतु प्लेसमेंट एजैन्सी के तौर पर नोटीफाईड किया गया है।

1. हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद्, चण्डीगढ़ – बच्चों को देश/विदेश में गोद देने हेतु।
2. बाल ग्राम राई, सोनीपत – देश में गोद देने हेतु।

किशोर न्याय (बालको की देख रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 के अंतर्गत विभिन्न विभागों में तालमेल रखने हेतु तथा सरकार को गृहों की स्थापना/संवासियों की आवश्यक सुविधायें देने हेतु तथा माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री की अध्यक्षता में स्टेट एडवाईजरी बोर्ड गठित है। जिसमें विभिन्न विभागों के वित्तायुक्त सदस्य है। इसके साथ–2 सरकार द्वारा किशोरों के कल्याण/पुनर्वास के लिए जुवेनाईल जस्टिस फण्ड भी स्थापित किया गया है।

vii) वर्ष 2011–12 में बाल कल्याण के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा संचालित सहायक अनुदान से संबंधित स्कीमों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

i) वैल्फेयर आफ स्ट्रीट चिल्ड्रन स्कीम

इस योजना के अन्तर्गत गलियों व फुटपाथों पर निम्न स्तर का कार्य करने वाले घुमक्कड़ बच्चे गैर सरकारी संस्थायें औपचारिक/अनौपचारिक शिक्षा, स्वास्थ्य जांच, पोषिटक आहार, व्यवसायिक प्रशिक्षण मुफ्त में उपलब्ध करवाया गया । प्रत्येक प्रोजैक्ट पर अधिकतम
2.96 लाख रू0 प्रथम वर्ष में दिये जाते हैं तथा दूसरे वर्ष में 2.51 लाख रू0 की राशि सहायक अनुदान के रूप में दी जाती है तथा एक प्रोजैक्ट में 100 बच्चों को कवर किया जाता है ।

इस योजना के तहत वर्ष 2011–12 में 29 संस्थाओं के माध्यम में 71.28 लाख रू0 खर्च करके 2950 लाभपात्रों को लाभ दिया गया।

ii) निराश्रित एवं अनाथ बच्चों की सुरक्षा एवं देखभाल एवं अन्य बाल कल्याण योजनायें

राज्य सरकार द्वारा स्वैच्छिक संस्थायें जोकि निराश्रित एवं अनाथ बच्चों के पालन–पोषण, शिक्षण एवं प्रशिक्षण के कार्यक्रम चला रही है, को कुल व्यय का 90 प्रतिशत सहायता राशि सहायक अनुदान के रूप में प्रदान किया गया तथा शेष 10 प्रतिशत खर्चा संस्थाओं द्वारा स्वंय वहन किया गया । वर्तमान में योजना के तहत प्रत्येक बच्चे के लिए 1000/–रू0 प्रतिमास प्रति बच्चा की दर से सहायक अनुदान के रूप में स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता राशि बच्चों के रख–रखाव हेतु दी गई। वर्ष 2011–12 में 19 स्वैच्छिक संस्थाओं को 205.70 लाख रू0 की सहायक अनुदान राशि 883 लाभपात्रों के लिए स्वीकृत की गई।

विभाग द्वारा चलाई जा रही सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं में रह रहे बच्चों के मनोरंजन हेतु डे होम सोसायटी, चण्डीगढ़ के माध्यम से कैम्पों का आयोजन किया जाता है। संस्था द्वारा प्रत्येक वर्ष 4–5 होली डे कैम्पों का आयोजन किया जाता है।

7. ग्रामीण किशोर बालिकाओं को पुरस्कार

बालिकाओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण किशोर बालिकाओं को पुरस्कार' की योजना प्रारम्भ की गई है। जिस के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष ग्रामीण स्कूलों की तीन बालिकाओं, जो खण्ड स्तर पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करती हैं, को क्रमशः 2000/–रु0,1500/–रु0 व 1000/– रु0 प्रोत्साहन पुरस्कार में दिए जाते हैं। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 में 5.54 लाख रू0 की राशि व्यय की गई तथा 369 लड़कियों को पुरस्कार दिये गए।

8. शिशु एवं छोटे बच्चों के आहार में सुधार

बच्चों में कुपोषण को समाप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा शिशु एवं छोटे बच्चों के आहार में सुधार योजना चलाई जा रही हैं। इस योजना के अन्तर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं साक्षार महिला समूहों तथा आशा वर्करों को शिशु एवं छोटे बच्चों को आहार देने के कौशलों एवं ज्ञान से सुसज्जित करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया ताकि वह माताओं को भली भांति परामर्श दे सके। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 में 4.00 लाख रू0 की राशि योजना के प्रचार–प्रसार व्यय की गई।

9. सर्वोत्तम माता पुरस्कार

विभाग द्वारा बच्चों, विशेषकर लड़कियों के पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने हेतू उनके भली–भांति पालन–पोषण के प्रति माताओं को प्रोत्साहित करने के लिए सर्वोत्तम माता पुरस्कार (बैस्ट मदर अवार्ड) की योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत आई.सी.डी.एस. योजना के अंतर्गत कवर होने वाले प्रत्येक सर्कल एवं खण्ड में माताओं का चयन जिनकी कम से कम एक लड़की है, शादी के समय महिला की आयु 18 वर्ष से कम नहीं थी तथा वह अन्य शर्ते पूरी करती हो तो एक चयन प्रकिया के तहत उनका चयन प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार के लिए किया जाता है। सर्कल स्तर पर 3 माताओं को प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान ग्रहण करने पर क्रमशः 500/–रू0, 300/–रू0 और 200/–रू0 के पुरस्कार दिए जाते हैं । सर्कल स्तर पर चुनी गई माताओं में से ही खण्ड स्तर पर

पुरस्कारों के लिए माताओं को चुना जाता है। खण्ड स्तर पर 3 माताओं को प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान ग्रहण करने पर क्रमशः 1000/–रू0, 750/–रू0 और 500/–रू0 के पुरस्कार दिए जाते हैं। वर्ष 2011–12 में कुल 3438 माताओं को पुरस्कार दिये गए। इसके लिए 21.76 लाख रू0 की राशि आई0सी0डी0एस0 स्कीम के अन्तर्गत व्यय की गई।

10. महिलाओं के लिए खेल कूद प्रतियोगिता

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण एवं विश्वास निर्माण हेतू तथा खेल एवं मनोरजन के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए खण्ड स्तर, जिला स्तर व राज्य स्तर पर खेल प्रतियोगता आयोजित करने की योजना लागू की गई है। योजना के अंतर्गत 30 वर्ष के ऊपर की महिलाओं/लड़कियों के लिए आलू दौड़, मटका दौड, 100 मीटर दौड़ तथा 30 वर्ष आयु से कम की लड़कियों/महिलाओं के लिए प्रतियोगिताओं में 300 मीटर की दौड़, 400 मीटर की दौड़ तथा 5 कि0मी0 साईकलिंग को शामिल किया गया है। सभी प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय व तृतीय आने वाली खिलाड़ियों को निम्न अनुसार पुरस्कार प्रदान किये गये।

पुरस्कार	ब्लाक स्तर	जिला स्तर	राज्य स्तर
प्रथम पुरस्कार	500/–	1000/–	3100/–
द्वितीय पुरस्कार	300/–	750/–	2100/–
तृतीय पुरस्कार	200/–	500/–	1100/–

इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर भाग लाने वाले सभी खिलाडियों को 500/– रू0 के पुरस्कार प्रदान किये गये। वर्ष 2011–12 में 3297 पुरस्कार प्रदान किये गये तथा 23.15 लाख रू0 की राशि खर्च की गई।

11, पोषण स्तर में सुधार हेतु जिला स्तरीय न्यूट्रीशन अवार्ड

हरियाणा में कुपोषित बच्चों की सख्या घटाने के लिये जिला स्तर पर सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले जिलों को न्यूट्रीशन अवार्ड दिया जाता है जिसमें प्रथम, द्वितीय व तृतीय अवार्ड क्रमशः 2.00 लाख रूपये, 1.00 लाख रूपये तथा 50,000/– रूपये प्रतिवर्ष दिये जाते है । वर्ष 2011–12 के दौरान जिला सोनीपत को प्रथम, रेवाड़ी व पानीपत को द्वितीय व पलवल और हिसार तृतीय पुरस्कार दिए गए।

12. घटते लिंग अनुपात में सुधार हेतु प्रोत्साहन पुरस्कार

घटते लिंग अनुपात में सुधार लाने वाले जिलो को प्रतिवर्ष प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने पर प्रोत्साहन पुरस्कार क्रमशः 4.00 लाख रु0, 2.00 लाख रु0 तथा 2.00 लाख रू0 दिये जाते है। यह धनराशि जिला प्रशासन द्वारा महिलाओं के विकास पर खर्च की जाती है। वर्ष 2011–12 के दौरान जिला अम्बाला 4.00 लाख रू0 ,भिवानी 2.00 लाख रू0, मेवात 2.00 लाख तथा रेवाड़ी 2.00 लाख रू0 को प्रथम, दो द्वितीय व तृतीय पुरस्कार दिए गए।

13. जैण्डर संवेदनशीलता कार्यक्रम

जैण्डर संवेदनशीलता कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राज्य में घटते लिंग अनुपात को सन्तुलित करना, कन्या भ्रूण हत्या रोकना एवं समाज में बालिका का सामाजिक स्तर ऊपर उठाना एवं महिलाओं

को उनके अधिकारों के प्रति जागृत करना है। आधारभूत स्तर पर सेवाप्रदाता जैसे कि बहु–उद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता, चिकित्सक, पुलिस आदि के कर्मचारी एवं पंचायतीराज के सदस्य होते हैं, जिनको महिलाओं की जरुरतों एवं समस्याओं को अनुभव करने एवं उन्हें समझने की आवश्यकता होती है। इस संदर्भ में पहले चरण में सभी पंचों एवं सरपंचों, अध्यापकों/स्वास्थ्य अमला एवं पुलिस कर्मियों को महिला अध्ययन रिसर्च केन्द्र, कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय के माध्यम से जैण्डर संवेदनशीलता पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। वर्ष 2011–12 में महिला अध्ययन वं रिसर्च सैन्टर कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरूक्षेत्र के माध्यम से जिला गुड़गांव, झज्जर व रोहतक में जिला स्तर से 3 मास्टर ट्रेनरज प्रशिक्षण कोर्स तथा इन्हीं जिलों में 128 ब्लाक स्तर पर 2 दिवसीय लिंग सवेंदनशीलता पर कार्यशाला आयोजित की गईं।

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 में 15/– लाख रू0 की राशि व्यय की गई।

14. जवाहर बाल भवन

6–16 वर्ष की आयु के बच्चों को मनोरंजनात्मक एवं शिक्षात्मक सुविधाएं प्रदान करने के लिए हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा भिवानी में जवाहर बाल भवन चलाया जा रहा है। विभाग द्वारा वर्ष 2011–12 में इस भवन के लिए 10,000 रू0 का अनुदान स्वीकृत किया गया।

15. महिलाओं के लिए प्रशिक्षण तथा उत्पादन केन्द्र स्थापित करना **(**छात्रवृति योजना**)**

इस योजना के अधीन स्वैच्छिक संस्थाओं/अर्ध सरकारी/कल्याण संस्थाओं/प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थाएं जो हरियाणा में कार्यरत रही हैं तथा महिलाओं, बच्चों व किशोरों को कल्याण सेवाएं प्रदान करती हैं, अथवा अनुसंधान, मूल्यांकन करती हैं, क्षमता निर्माण के लिए महिलाओं एवं किशोरियों को प्रशिक्षण देती है और आय उपार्जन गतिविधियां चलाती हैं, स्वंय सहायता समूह निर्माण एवं उनके पोषण, सामाजिक बुराईयों के विरुद्व सामाजिक लामबन्दी और आन्दोलन करती हैं आदि के लिए, सहायक अनुदान प्रदान किया जाता है।

वर्ष 2011–12 में जारी अनुदान राशि का विवरणः–

क्रमांक	संस्था का नाम	स्वीकृत राशि (रू0 लाखों में)
1.	हरियाणा राज्य बाल कल्याण समिति	665.00
2.	भारतीय ग्रामीण महिला संघ, मकान नं. 96, सैक्टर–10, पंचकूला	44.60
जोड़		7,09,6000

16. दहेज निषेध कार्यक्रम

राज्य में दहेज की बुराई को समाप्त करने के लिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम लागू किया गया। अधिनियम को अधिक प्रभावी रूप से लागू करने के लिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत नियमों में संशोधन किया गया, जिन्हें फरवरी, 2003 में अधिसुचित किया गया, जिनमें दहेज प्रतिषेध अधिकारियों को अधिक शक्तियां एवं कार्य सौंपे गए। दहेज निषेध अधिनियम को कारगर रूप से लागू करने के लिए निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग को मुख्य दहेज प्रतिषेध अधिकारी नामांकित किया गया है। राज्य में सभी उपमण्डल मजिस्ट्रेटों एवं सभी नगराधीशों को दहेज प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त किया गया है। विभाग के नोटिफीकेशन न0 16007/एस. डब्ल्यु.(3) 2004 दिनांक 14.7.2004 के अन्तर्गत दहेज प्रतिषेध अधिकारियों को परामर्श एवं सहायता देने के लिए परामर्श बोर्डों का गठन किया गया। वर्ष

2011–12 के दौरान दहेज निषेध कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी कार्यक्रम अधिकारियों को दहेज प्रतिषेध गतिविधियां चलाने के लिए 10,000/–रू0 प्रति जिला की दर से राशि जारी की गई।

17. घरेलू हिंसा के विरूद्ध महिला सुरक्षा अधिनियम

हरियाणा सरकार द्वारा प्रत्येक जिला पुलिस मुख्यालय पर महिलाओं व बच्चों के लिए विशेष कक्ष स्थापित किए गए है। जहां घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 तथा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत संरक्षण एवं बाल विवाह रोकथाम अधिकारी की नियुक्ति की गई है। हरियाणा राज्य में जिला स्तर पर 21 संरक्षण एवं प्रतिषेध अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अन्तर्गत 26 संगठनों को सेवा प्रदाता के रूप में रजिस्टर्ड किया गया है और राज्य में 3 आश्रय ग्रहों को इस अधिनियम के तहत जरूरतमंद महिलाओं को सभी सरकारी हस्पताल, पी.एच.सी.एस. और सी.एच.सी.एस. जरूरतमंद महिला को मैडिकल सहायता प्रदान करते है। (टी.आई.एस.एस.) टाटा इंसटीट्यूट आफ साशॅल साइंस के विशेषतों के द्वारा घरेलू हिंसा को रोकने के लिए संरक्षण अधिकारियों को ट्रेनिग दी जाती है। 2011–12 में टी.आई.एस.एस. के द्वारा नीलोखेड़ी में एच.आई.आर.डी. में 5 दिन की ट्रेनिग दी गई।

वर्ष 2011–12 में संरक्षण अधिकारियों के द्वारा 2299 घरेलू हिंसा की शिकायतें दर्ज की गई। 1619 शिकायतों की Domestic incident Report भरी गई। 1721 शिकायतों का पारस्परिक समाधान किया गया तथा 107 बाल विवाह रूकवाये गये।

18. कामकाजी महिला होस्टल

कामकाजी महिलाओं को सस्ती दरों पर आवास सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए रैडक्रास समितियॉ तथा नगर पालिकाओं के माध्यम से 12 जिलों–अम्बाला, करनाल, गुडगांव, सोनीपत, फरीदाबाद, रोहतक, कुरूक्षेत्र, सिरसा, रिवाडी, भिवानी, हिसार,तथा जीन्द, में कामकाजी महिला होस्टल निर्मित किये गये। योजना के अन्तर्गत होस्टल निर्माण करने के लिए सार्वजनिक स्थान पर भवन के निर्माण हेतू 75 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की जाती है। 5 वर्ष से चल रहे कामकाजी होस्टल का संतोषजनक पाये जाने पर उनको रखरखाव के लिए 5 लाख रू0 की राशि दिये जाने का प्रावधान है। सार्वजनिक पर कार्पोरेट होम द्वारा भवन के निर्माण हेतु 50–50 प्रतिशत राशि मैचिक गार्ड के रूप में पद्रान की जाती है।

19. महिलाओं के लिए अध्ययन दौरा कार्यक्रम

वर्ष 2011–12 में महिला मण्डलों से संबंधित योजनाओं जिनके नाम महिला सम्मेलन स्कीम, महिला मण्डलों को प्रोत्साहन पुरस्कार, अर्न्तराज्जीय महिला मण्डल अध्ययन दौरा कार्यक्रम है, के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं को घर से दूर अन्य राज्यों में जाकर महिलाओं सं संबंधित आर्थिक धन्धों आदि के बारे में विचार विर्मश करके व देखकर लाभ उठायें जाने का अच्छा मौका प्राप्त कर सके। इन महिलाओं को रास्ते में पढ़ने वाले ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थानों का भ्रमण भी करवाया जाता है इस स्कीम के बंतर्गत 1.08 करोड़ रू0 की राशि खर्च करने का प्रावधान किया गया है। राज्य की सभी 6714 महिला मण्डलों को 5000/– रू0 प्रति महिला मण्डल प्रति वर्ष वित्तिय सहायता दी जाती है।

अन्तर्राज्जीय महिला मण्डल अध्ययन दौरा कार्यक्रम के लिए 1680,000/– रू0 की राशि खर्च की गई है। तथा 21 जिलों में प्रति जिला एक दौरा कार्यक्रम की दर से 21 दौरा कार्यक्रम किये गये है। इस योजना के अन्तर्गत महिला मण्डलों के उत्कृष्ट सदस्यों को विभिन्न राज्यों में भेजा गया ताकि वह उन राज्यों में लागू ग्रामीण स्कीमों के कार्यान्वयन को देख सकें तथा उन प्रदेशों की महिलाओं द्वारा चलाई जा रही लाभ पातर गतिविधियों को अपनाकर अपनी सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार लाने हेतू महिला मण्डलों के ग्रुप बनाकर पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं राजस्थान आदि प्रदेशों के अध्ययन दौरे किये जाते है।

20. परिवारिक न्यायालय

पारिवारिक विवादों के शीघ्र निपटान के लिए, राज्य सरकार द्वारा फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार व भिवानी में 4 पारिवारिक न्यायलय चरणबद्व तरीके से स्थापित किए जा चूके है तथा द्वितीय चरण में जिला सोनीपत, करनाल, रोहतक, अम्बाला में स्थापित किए गये जिनकी कुल संख्या आठ हो गई है।

21. अन्य संचार एवं प्रचार

लोगों की मानसिकता में परिवर्तन लाने, सामाजिक बुराईयों को समाप्त करने, महिलाओं तथा बालिकाओं के स्तर में सुधार लाने के लिए संचार एवं प्रचार के अन्तर्गत व्यापक स्तर पर आई.ई.सी. गतिविधियां शुरू की गई है। अन्तराष्ट्रीय महिला दिवस, स्तनपान सप्ताह, राष्ट्रीय पोषाहार सप्ताह के अवसर पर अखबारों में विज्ञापन देकर महिलाओं एवं बालिकाओं की योजनाओं का प्रचार किया गया। वर्ष 2011–12 में इस मद पर 24.78 लाख रूपये की राशि व्यय की गई ।

विभाग में एक लघु पुस्तकालय भी है जिसमें वर्ष 2011–12 के अन्त में 2673 पुस्तकें थी।

22. अमला

महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा के नियन्त्रण में जो योजनाएं हैं, इनके अन्तर्गत मुख्यालय तथा क्षेत्रीय स्तर पर अमले की स्थिति को परिशिष्ट–'ख' पर दर्शाया गया है।

23. चौकसी

वर्ष 2011–12 में चौकसी से सम्बन्धित मामलों की रिर्पोट शून्य है।

24. हरियाणा महिला विकास निगम

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं की सामाजिक– आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए महिलाओं के विकास की गतिविधियों को विकसित करने, जागृति जागरण, व्यवसायिक प्रशिक्षण व स्वरोजगार स्थापित करने के लिए संस्थागत वित्त का प्रबन्ध करने हेतू हरियाणा महिला विकास निगम कार्यरत है। निगम की अधिकृत हिस्सापूंजी 30 करोड़ रु0 है।

यह निगम महिलाओं के लिए एक ऋण योजना लागू कर रहा है ताकि वह अपने कारोबार स्थापित कर सकें। ऋण योजना के अन्तर्गत 4377 महिलाओं को कवर किया जा चुका है।

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वर्ष 2011–12 में निगम को 150 लाख रू0 की सबसीडी, जारी की गई।

(क) सैनेटरी नेपकिन बनाने की योजना

राज्य सरकार द्वारा हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से साक्षर महिला समूहों/महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों द्वारा सभी जिलों में सैनेटरी नेपकिन बनाने के लिए यूनिटों की स्थापना की गई है। इस योजना के अन्तर्गत पात्र साक्षरता समूह/स्वयं सहायता समूह को निगम द्वारा एक लाख रू0 तक का ऋण 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर दिया जाता है, जिसकी रिकवरी 5 वर्षो में समान मासिक किस्तों में की जायेगी। यह सैनेटरी नेपकिन सबसीडी प्रदान करते हुए सोशल मार्किटिंग प्रणाली के माध्यम से बेचे जाएगें, जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा नेपकिन के कुल 2.15/–रू0 मूल्य में से 1.15/–रू0 की सबसीडी प्रदान की जाएगी। निगम द्वारा सैनेटरी नेपकिन की युनिट प्रारम्भ करने के लिए अब तक 127 समूहों को कुल 81.40 लाख रू0 की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

(ख) बालिका शिक्षा ऋण योजना

राज्य सरकार द्वारा हाल ही में दुसरी महत्वपूर्ण पहल करते हुए लड़कीयों/महिलाओं के लिए आसान शिक्षा ऋण योजना शुरु की है जो कि हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा चलाई जा रही है जिसके अन्तर्गत लड़कियों/महिलाओं को देश/विदेश में उच्च शिक्षा जैसे कि ग्रेजुएट/पोस्ट–ग्रेजुएट/डाक्टरल/पोस्ट डाक्टरल स्तर के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा ऋण प्रदान किये जाते है। जिसमें ब्याज सबसीडी 5 प्रतिशत वार्षिक प्रदान की जाती है। वर्ष 2011–12 तक विभिन्न बैंकों द्वारा 298 लाभपात्रों को ऋण स्वीकृत किया गया है।

(ग) वुमैन अवेयरनैस एण्ड मैनेजमैन्ट अकादमी –'वामा'

राई (जिला सोनीपत) में आधारभूत महिला कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए वूमैन अवेयरनैस एण्ड मैनजमैंट अकादमी 'वामा' चलाई जा रही है। राज्य सरकार ने इस संस्था को अपग्रेड करके रीजनल लेवल जैण्डर ट्रेनिंग इन्सटीच्यूट बनाया है जिसमें जैण्डर संवेदनशीलता विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाता है। इस संस्था द्वारा लगभग 3855 क्षेत्रीय महिला कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया।

25. हरियाणा राज्य महिला आयोग

महिलाओं के हितों एवं अधिकारों की रक्षा करने तथा उनके समुचित विकास के लिए हरियाणा सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक 3055–एस0 डब्ल्यू0 (4) 99, दिनांक 20–12–99 के अन्तर्गत राज्य महिला आयोग का गठन किया गया। आयोग की संरचना में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 4 गैर सरकारी सदस्य, 2 पदैन सदस्य एवं सदस्य सचिव शामिल है। कुमारी सुशीला शर्मा को आयोग का चेयरमेन तथा श्रीमती चन्द्रप्रभा को वाईस चेयरमेन नियुक्त किया गया है ।

वर्ष 2011–12 में आयोग को 232 शिकायतों का निपटान कर दिया गया। इसके अतिरिक्त 147 समाचार पत्रों में छपी खबरों का निपटान किया गया। विभाग द्वारा राज्य महिला आयोग को वर्ष 2011–12 में 52 लाख रू0 की राशि जारी की गई। जिसमें से 20 लाख रू0 की राशि खर्च की गई।

26. हरियाणा राज्य समाज कल्याण बोर्ड को वित्तीय सहायता

राज्य सरकार द्वारा हरियाणा राज्य समाज कल्याण बोर्ड को मुख्यालय स्थापना व्यय का 50 प्रतिशत तथा चेयरमैन के भत्ते, पी.ओ.एल, आदि के व्यय के लिए शत–प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2011–12 में समाज कल्याण बोर्ड को 35.72 लाख रु0 की राशि मुख्यालय स्थापना के लिए तथा चेयरमैन के व्यय के लिए प्रदान की गई।

27. भारत सरकार की सहायक अनुदान योजनाएं

(क) स्वावलम्बन (नोराड)

हरियाणा राज्य में हरियाणा महिला विकास निगम, स्वावलम्बन (नोराड) योजना को चलाने के लिए एक नोडल एजेंसी है। परन्तु भारत सरकार द्वारा 1–4–2006 से नोराड योजना को राज्य सरकार को अपने स्तर पर चलाने के लिए स्थानान्तरित कर दी गई।

(ख) स्वाधार

भारत सरकार द्वारा यह योजना कठिन परिस्थितियों में रहने वाली उपेक्षित महिलाओं/बालिकाओं को आश्रय, भोजन, कपड़े जिनके पास कोई सामाजिक व आर्थिक सहायता नहीं है, उपलब्ध करवाने उन्हें शिक्षा जागरूकता आदि द्वारा भावनात्मक परामर्श प्रदान करते हुए सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पुर्नवास प्रदान करने व जरूरतमंद महिलाओं, बालिकाओं को कानूनी तथा अन्य समर्थन प्रदान करना तथा उन्हें हैल्प लाईन या अन्य सुविधायें प्रदान करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। वर्तमान में 2 जिलों में 2 स्वाधार Shelter Home चलाये जा रहे हैं।

28 विधवा एवं निराक्षित महिलाओं के प्रशिक्षण केन्द्र

महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा द्वारा रोहतक, करनाल व फरीदाबाद में विधवा/निराक्षित महिलाओं एवं उन पर आश्रित बच्चों के लिए गृह एवं प्रशिक्षण केन्द्र चलाये जा रहे है। इन गृहों में नौजवान विधवा महिलाओं तथा ऐसी महिलायें जिनके पति द्वारा उन्हें छोड़ दिया गया हो तथा उनका कमाऊ पुत्र न हो, न ही कोई पुरूष रिश्तेदार सहायता करने वाला हो को प्रवेश दिया जाता है। ऐसी महिलाओं जिनके पति क्षययोग जैसी भंयकर बीमारी से पीड़ित हों अथवा मानसिक रोग से पीड़ित हो तथा कमाने की स्थिति में नही और उनके परिवार की देखभाल करने वाला कोई न हो को भी प्रवेश दिया जाता है। इन गृहों में संवासियों को आवास, शिक्षण–प्रशिक्षण की सुविधायें मुफ्त प्रदान की जाती है तथा प्रत्येक संवासी को 600/– रू0 प्रतिमास गुजारा भत्ता व 150/– रू0 प्रतिमास प्रति व्यक्ति कपड़ा भत्ता दिया जाता है। अकेली महिला संवासी को प्रतिमास 700/– रू0 गुजारा एवं 150/– रू0 कपड़ा भत्ता दिया जाता है। संवासियों को गृह के अंतर्गत चलाये जा रहे प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वह अपनी आमदनी में बढ़ौतरी कर सके। संस्था में रह रही महिलाओं के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने की मुफ्त सुविधायें प्रदान की जाती हैं और उनको हर सम्भव प्रोत्साहन दिया जाता है। शादी योग्य लड़कियों की शादी में 15,000/– रू0 सहायक अनुदान के रूप में दिये जाते है वर्ष 2010–11 में उपरोक्त संस्थाओं में वर्ष में अंत 3/12 में लाभपात्रों की स्थिति निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं	संस्था का नाम	संवासी	उनके आश्रित	कुल लाभपात्र
1.	महिला आश्रम, रोहतक	48	61	109
2.	महिला आश्रम, करनाल	44	58	102
3.	कस्तूरबा सेवा सदन, फरीदाबाद	19	32	51
	कुल संख्या	111	151	262

वर्ष 2011–12 में इन संस्थाओं पर कुल 154.41 लाख रू0 खर्च हुए।

29 राजकीय उत्तर रक्षा (कन्या) करनाल

इस गृह की स्थापना 1982 में की गई हैं। इस संस्था में 12 से 40 वर्ष की आयु वर्ग की महिला/लड़कियों को जिन्हें सुधार गृहों से रिहा किया जाता है और उनको नैतिक खतरों से सुरक्षा की आवश्यकता हो या पति/पिता लंबी अवधि के लिये कारागार में हो, को प्रवेश दिया जाता है। इस संस्था में संवासियों को आवास, भोजन, वस्त्र आदि सभी सुविधायें मुफ्त प्रदान की जाती है और उसे समाज का अच्छा नागारिक बनाने एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिये निम्नलिखित प्रयत्न किये जाते हैः–

1. अविवाहित लड़कियों/युवा महिलाओं की योग्य व्यक्तियों के साथ शादी करना।
2. योग्यता अनुसार किसी एक क्षेत्र में प्रशिक्षण दिलवाना।
3. सरकारी/गैर सरकारी संस्थानों में रोजगार दिलवाना।
4. उनके माता–पिता या संरक्षकों के पास वापिस भेजना आदि।
5. विवाह योग्य संवासी के विवाह के सम 15,000/– रू0 (12,000/– रू0 शादी खर्च व 3000/– रू0 संवासी के नाम सावधि जमा के रूप में) सहायता प्रदान करना।

वर्ष 2010–11 के दौरान 128 संवासियों को प्रवेश दिया गया। संस्था में प्रतिदिन कोर्ट के माध्यम से संवासी प्रवेश/रिहा किये जाते है। वर्ष 2011–12 में इस योजना पर 24.49 लाख रू0 खर्च किये गये है।

————————

परिशिष्ट– 'ख'

महिला एवं बाल विकास निदेशालय की मुख्यालय व क्षेत्रीय कार्यालयों पर 31–3–2012 को अमले की स्थितिः–

क्र. सं.	पद का नाम	मुख्यालय			क्षेत्रीय		
		स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद
	श्रेणी–I						
1	निदेशक, (आई0ए0एस)	1	1	-	-	-	-
2	अपर निदेशक	2	1	1	-	-	-
3	सयुंक्त निदेशक	2	2	-	-	-	-
5.	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	1	1	-	-	-	-
	श्रेणी–II						
6	उप निदेशक	4	-	4	-	-	-
7	लेखा अधिकारी	2	2	-	-	-	-
8	प्रचार अधिकारी	1	1	-	-	-	-
9	सहायक जिला न्यायवादी	1	-	1	-	-	-
10	कार्यक्रम अधिकारी	3	3	-	21	20	1
11	पोषाहारिका	1	1	-	-	-	-
12	अधीक्षक	5	5	1	21	20	1
13	मैनेजर, पंजीरी प्लांट	-	-	-	2	2	-
14	बाल विकास परियोजना अधिकारी	-	-	-	148	122	26
	श्रेणी–III						
15	अधीक्षक संस्था	-	-	-	7	7	-
16	उप–अधीक्षक	5	5	-	-	-	-
17	अनुभाग अधिकारी	1	1	-	-	-	-
18	निजी सहायक	1	1	-	-	-	-
19	अनुसंधान अधिकारी	1	1	-	-	-	-
20	सहायक प्रभारी	1	1	-	-	-	-
21	आंकडा सहायक	3	3	-	138	113	25
22	सहायक/लेखाकार	35	32	3	183	159	24
23	सुपरवाईजर	-	-	-	1006	568	438
25	सामान्य सुपरवाईजर	-	-	-	2	1	1
26	सुपरवाईजर (होम)	-	-	-	1	1	-
27	वस्त्राकार	-	-	-	3	1	2
28	बुनकर तकनीकी	-	-	-	1	1	-

29	बाटा इन्सट्रक्टर	-	-	-	1	1	-
30	अध्यापक सह सुपरवाईजर बी.ए.बी.एण्ड.	-	-	-	1	1	-
31	चमड़ा तकनीकी	-	-	-	1	-	1
32	अध्यापक बी.ए.बी.एण्ड	-	-	-	1	1	-
33	सीनियर स्केल स्टैनोग्राफर	2	2	-	-	-	-
34	जूनियर स्केल स्टैनोग्राफर	5	3	2	6	2	4
35	स्टैनों टाईपिस्ट	17	1	16	15	6	9
36	चालक	4	4	-	137	60	77
37	लिपिक	25	20	5	229	168	62
38	ग्राम सेविका	-	-	-	2	2	-
39	हैड वार्डर	-	-	-	3	2	1
40	वार्डर	-	-	-	17	13	4
	श्रेणी–**IV**						
41	सेवादार	26	17	9	185	124	61
42	चौकीदार	1	1	-	83	68	15
43	स्वीपर–कम–चौकीदार	2	2	-	3	2	1
44	श्रमिक	-	-	-	23	22	1
45	हैल्पर	-	-	-	1	1	-
46	स्वीपर	-	-	-	16	12	4
47	माली	-	-	-	5	4	1
48	रसोईया	-	-	-	8	1	7
49	महिला सह सहायक	-	-	-	3	1	2

महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा का वर्ष 2011–12 का बजट अनुमान, संशोधित बजट एवं वास्तविक व्यय

परिशिष्ट–'क'

(लाख रू0 में)

क्र0सं0	स्कीम का नाम	बजट अनुमान (2011–12)				संशोधित बजट (2011–12)				वास्तविक व्यय (2011–12)			
		स्टेट प्लान	सैन्ट्रल प्लान	नॉन प्लान	कुल	स्टेट प्लान	सैन्ट्रल प्लान	नॉन प्लान	कुल	स्टेट प्लान	सैन्ट्रल प्लान	नॉन प्लान	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	निदेशालय अमलाएवं आई0टी0प्लान	10.00	0.00	305.36	315.36	5.00	0.00	295.14	300.14	3.40	0.00	302.55	305.95
2.	प्लानिंग–कम–मोनीटरिंग सैल (संचार एवं प्रचार)	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	24.78	0.00	0.00	24.78
3.	समेकित बाल विकास सेवाऐं	789.65	0.00	0.00	789.65	689.65	0.00	0.00	689.65	324.17	0.00	0.00	324.17
4.	लाडली	5000.00	0.00	0.00	5000.00	6305.35	0.00	0.00	6305.35	5352.21	0.00	0.00	5352.21
5.	जवाहर बाल भवन	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.10	0.10
6.	किशोरी शक्ति योजना	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	47.82	0.00	47.82
7.	किशोरी बालिकाओं के लिए विशेष पोषाहार कार्यक्रम	5.00	0.00	0.00	5.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00
8.	स्वैच्छिक संस्थाओं के अनुदान बाल ग्राम छछरौली	0.00	0.00	1.25	1.25	0.00	0.00	1.25	1.25	0.00	0.00	1.25	1.25
9.	ग्रामीण किशोरी कन्याओं को पुरस्कार	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	5.54	0.00	0.00	5.54
10.	अनाथ बच्चों की देखभाल व सुरक्षा कल्याण	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	16.42	16.42
11.	अवकाश गृह	0.00	0.00	1.30	1.30	0.00	0.00	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	एस.ओ.एस. बाल ग्राम राई	0.00	0.00	47.00	47.00	0.00	0.00	47.00	47.00	0.00	0.00	33.61	33.61
13.	अनाथालय	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00
14.	घुमन्तू बच्चों का कल्याणा	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	9.20	9.20
15.	बच्चों के कल्याण में लगी संस्थाओं के अनुदान (जे.जे.एक्ट)	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00
16.	पुस्तकालय, खेल का मैदान तथा शिक्षा सैन्टर आदि।	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

17.	दूराचार पीड़ितों की संरक्षण वित्तिया सहायता	0.00	432.00	0.00	432.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.15	0.00	0.15
18.	सबला	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	99.57	0.00	99.57
19.	बेसहारा महिलाओं एवं विधवाओं के लिए गृह एवं ट्रेनिंग सैन्टर की स्थापना	15.00	0.00	0.00	15.00	774.26	0.00	0.00	774.26	709.70	0.00	0.00	709.70
20.	कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल निमार्ण	0.00	0.00	53.50	53.50	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	महिला मण्डल को सुदृढ एवं उत्थान बनाना	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	23.44	23.44
22.	जैन्डर संवेदनशील कार्यक्रम	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	महिला विंग का जिला एवं खण्ड स्तरीय अमला	0.00	0.00	16.50	16.50	0.00	0.00	17.35	17.35	0.00	0.00	16.74	16.74
24.	स्वंयसिद्धा योजना	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	स्वाबलम्बन (नोराड)	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा भविष्य योजना	80.00	0.00	0.00	80.00	85.00	0.00	0.00	85.00	66.00	0.00	0.00	66.00
27.	आंगनवाड़ी सुरक्षित भविष्य योजना	390.00	0.00	0.00	390.00	420.00	0.00	0.00	420.00	409.42	0.00	0.00	409.42
28.	महिला शक्ति सदन	0.35	0.00	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	बेसहारा महिलाओं एवं विधवाओं के लिए गृह एवं ट्रेनिंग सैन्टर की स्थापना	0.00	0.00	143.60	143.60	0.00	0.00	151.24	151.24	0.00	0.00	112.03	112.03
30.	महिलाओं के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग सैन्टर की स्थापना	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00	0.97	0.97	0.00	0.00	0.78	0.78
31.	निराक्षित व बेसहारा महिलाओं को नकद अनुदान	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.14	0.14
32.	पी0डब्लयू0डी हरियाणा चण्डीगढ़	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00
33.	राजकीय उत्तर रक्षा गृह, करनाल	0.00	0.00	32.55	32.55	0.00	0.00	32.27	32.27	0.00	0.00	24.29	24.49
34.	युवा लड़कियों, बेसहारा, विधवा औरतों को वोकेशनल ट्रेनिंग व उत्पादन केन्द्र	8.00	0.00	0.00	8.00	38.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.		24.00	0.00	0.00	24.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

36.	आंगनवाड़ी केन्द्र के निर्माण के लिए नार्वाड लोन	1600.00	0.00	0.00	1600.00	1600.00	0.00	0.00	1600.00	1600.00	0.00	0.00	1600.00
37.	निदेशालय के लिए भवन निर्माण	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38.	बीमा योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39.	हरियाणा राज्य समाज कल्याण बोर्ड को सहायक अनुदान	0.00	0.00	39.50	39.50	0.00	0.00	56.95	56.95	0.00	0.00	35.72	35.72
40.	हरियाणा महिला विकास निगम	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	90.00	90.00
41.	सबसीडी	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00
42.	हिस्सा–पूंजी	50.00	0.00	0.00	50.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43.	हरियाणा राज्य महिला आयोग	0.00	0.00	52.00	52.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	20.00	20.00
44.	आंगनवाड़ी केन्द्र भवन निर्माण	500.00	1.00	0.00	501.00	500.00	1.00	0.00	501.00	500.00	0.00	0.00	500.00
45.	महिला जागृति एवं प्रबंधक अकादमी, राई को वित्तीय सहायता (वामा, राई)	30.00	0.00	0.00	30.00	43.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46.	जुवैनियल बोर्ड की स्थापना	0.00	0.00	10.80	10.80	0.00	0.00	17.61	17.61	0.00	0.00	4.82	4.82
47.	आई.सी.डी.आई.	900.00	15500.00	6905.09	23305.09	2100.00	20508.60	9159.81	31768.41	1867.81	16810.31	8145.10	26823.22
48.	उड़ीसा	40.00	360.00	0.00	400.00	40.00	360.00	0.00	400.00	25.08	225.72	0.00	250.80
49.	अबजरवेशन होम	0.00	0.00	99.91	99.91	119.00	0.00	89.37	208.37	0.00	0.00	84.65	84.65
50.	राजकीय उत्तर रक्षा गृह, सोनीपत	0.00	0.00	24.54	24.54	0.00	0.00	27.64	27.64	0.00	0.00	29.89	29.89
51.	स्पेशल होम, अम्बाला	0.00	0.00	11.90	11.90	0.00	0.00	12.37	12.37	0.00	0.00	9.10	9.10
52.	स्वैच्छिक संस्थाओं के जुवैनियल/ओबजरवेशन होम की स्थापना	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.	आई.सी.पी.एस.	144.00	1400.00	0.00	1544.00	155.00	495.00	0.00	650.00	0.81	147.29	0.00	148.10
54.	राज्य महिला शक्ति करण मिशन	1.00	1.00	0.00	2.00	1.00	3.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55.	महात्मा गांधी स्वाबलम्बन पैंशन योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56.	स्पलाईमेन्ट्री न्यूट्रीशन प्रोग्राम	8550.00	8550.00	101.95	17201.95	6400.00	6600.00	105.24	13105.24	6137.65	6137.65	105.64	12380.94
57.	किशोरी शक्ति योजना	350.00	0.00	0.00	350.00	400.00	0.00	0.00	400.00	289.00	0.00	0.00	289.00
58.	किशोरी बालिकाओं का राष्ट्रीय कार्यक्रम	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

59.	आर.जी.एस.ई.ए.जी (सबला)	500.00	500.00	0.00	1000.00	600.00	600.00	0.00	1200.00	426.56	426.56	0.00	853.12
60.	इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	260.00	0.00	260.00	0.00	180.31	0.00	180.31
	जोड़	19200.00	27166.00	8272.85	54638.85	20506.26	29050.60	10485.76	60042.62	17906.13	24075.38	9094.67	51076.18

समीक्षा

महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा की वर्ष 2011–12 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा।

महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा द्वारा, राज्य व केन्द्रीय स्तर पर महिला एवं बाल विकास की अनेक योजनाएं सीधे तौर पर तथा हरियाणा महिला विकास निगम, हरियाणा राज्य समाज कल्याण बोर्ड़, हरियाणा राज्य महिला आयोग एवं स्वैच्छिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता देकर लागू की गई।

बजट

वर्ष 2011–12 का विभिन्न योजनाओं एवं शीर्षो के अन्तर्गत मूल बजट 51076.18 लाख रू0 था और संशोधित बजट 60042.62 लाख रू0 रखा गया। विभिन्न योजनाओं एवं गतिविधियों पर 570761.18 लाख रू0 की राशि व्यय की गई जिसमें 17906.13 लाख रू0 की राशि स्टेट प्लान 24075.38 लाख रू0 सैन्ट्रल प्लान तथा 9094.67 लाख रू0 नान प्लान शीर्षो के अन्तर्गत थी।

योजनाएं एवं कार्यक्रम

वर्ष 2011–12 के दौरान महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण, विकास, प्रगति एवं सशक्तिकरण के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम, योजनाएं एवं गतिविधियां लागू की गई :–

1 प्रोत्साहन आधारित योजना ''लाडली'' के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 में 5352.21 लाख रू0 की राशि व्यय की गई तथा 153179 परिवारों/बालिकाओं को लाभ प्रदान किया गया। जिसमें गत वर्ष के 129261 लाभपात्र भी शामिल थे।

2 समेकित बाल विकास सेवायें योजना जोकि बाल विकास की सबसे बड़ी योजना है, राज्य में 18 शहरी खण्डों सहित 148 खण्डों मे लागू रही, जिसके अन्तर्गत 25223 आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 11.46 लाख 6 मास से 6 वर्ष तक आयु के बच्चों एवं 3.26 लाख गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं को पूरक पोषाहार एवं अन्य सेवाएं समेकित रुप से प्रदान की गई।

आई.सी.डी.एस कार्यक्रम को समुदायिक तथा विकेन्द्रियकृत कार्यक्रम बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज एक्ट 1994 के अंतर्गत 6033 ग्राम स्तरीय समितियो का गठन किया गया, जोकि महिलाओं तथा बच्चों के विकास के कार्यक्रमों को सुविधापूर्वक चलाने में सहायता करेंगे। राज्य सरकार द्वारा ग्राम स्तरीय कमेटियों को टिकाऊ बनाये रखने के लिए 5.00 लाख रूपये की राशि जारी की गई।

राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत व इसकी उप समिति को उनके कार्यों के प्रभावी रूप से निषपादन करने में आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए प्रत्येक गांव में सभी शिक्षित महिलाओं की साक्षर महिला समूह (एस0एम0एस0) नामक रजिर्स्टड स्वैच्छिक संस्था गठित की गई। साक्षर महिला समूह गावं में मुख्य सामाजिक मुद्दे जैसा कि लिंग अनुपात, साक्षरता, प्राथमिक शिक्षा का सर्वभौमीकरण, स्वास्थ्य तथा पोषाहार शिक्षण, महिलाओं का आर्थिक सशिक्तकरण, स्वच्छता एवं सफाई, पर्यावरण व सरकार द्वारा चलाई जा रही महिलाओं/बालिकाओं/बच्चों एवं ग्रामीण समुदाय के विकास की योजनाओं आदि के बारे जागृति पैदा करता है। इस वर्ष में 6279 साक्षर महिला समूह रजिर्स्टड किए गए और 5.00 लाख रू0 की राशि व्यय हुई।

आई.सी.डी.एस.सेवाओं में अनुकरणीय कार्य करने के दृष्टिगत 26 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 5000/– रू0 की दर से राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किये गए। तीन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के नाम भारत सरकार को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए भेजे गए। 34636 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व हैल्परों ने भारतीय जीवन बीमा निगम की सामाजिक सुरक्षा समूह योजना की 'आंगनवाड़ी कार्यकत्री बीमा योजना' नामक योजना के अन्तर्गत बीमा करवाया।

आई.सी.डी.एस. योजना के कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के अर्न्तगत 130.29 लाख रूपये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्रों, एक मध्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र आई.ई.सी. गतिविधियों व अन्य प्रशिक्षणों के लिए जारी किए गये।

चालू वर्ष में आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवनों के निर्माण की योजना लागू रही, जिसके अन्तर्गत अतिरिक्त उपायुक्तों को 188 भवनों के निर्माण के लिए कुल 1598.00 लाख रु0 की राशि जारी की गई।

घटते लिंग अनुपात में सुधार हेतु प्रोहत्साहन पुरस्कार प्रथम पुरस्कार जिला अम्बाला को 4.00 लाख रू0, व द्वितीय जिला भिवानी + मेवात को 2.00 लाख रू0 और तृतीय जिला रिवाड़ी को 2.00 लाख रू0 का पुरस्कार दिया गया।

पोषण स्तर में सुधार हेतु 2.00 लाख, 1.00 लाख तथा 50 हजार रू0 के जिला स्तरीय न्युट्रिशन अवार्ड जिला सोनीपत को प्रथम, रिवाड़ी व पानीपत को द्वितीय तथा पलवल व हिसार को तृतीय पुरस्कार दिए गए।

3. किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए 128 आई. सी. डी. एस. प्रोजैक्टों में किशोरी शक्ति योजना चलाई गई एवं 289 लाख रू0 की राशि 53697 लड़कियों को पूरक पोषाहार एवं 53633 लड़कियों को विभिन्न विषयों पर जीवन विकास निपुणताओं पर प्रशिक्षण देने पर व्यय हुई ।

4 किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना (सबला) राज्य के छः जिलों अम्बाला, हिसार, रिवाड़ी, रोहतक, यमुनानगर तथा कैथल में लागू की गई है तथा 78341 बालिकाओं को लाभ दिया गया।

5. जरूरतमंद बच्चों की देखभाल कल्याण संरक्षण तथा कानून का उल्लघंन करने वाले बच्चों के लिए राज्य में हरियाणा राज्य बाल संरक्षण सोसायटी तथा राज्य परियोजना सहयोग ईकाई के माध्यम से किशोर न्याय (बालकों की देख रेख एवं सरंक्षण अधिनियम 2006 लागू है)।

6. ग्रामीण बालिकाओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए 'ग्रामीण किशोर बालिकाओं को पुरस्कार' की नई योजना लागू की गई जिसके अन्तर्गत हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में ग्रामीण स्कूलों की खण्ड स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली तीन बालिकाओं को क्रमशः 2000/–रू0,1500/–रु0 व 1000/– रु0 प्रोत्साहन पुरस्कार के रुप में दिए गए।

7. राज्य सरकार द्वारा बच्चों में कुपोषण को समाप्त करने के लिए शिशु एवं छोटे बच्चों के आहार में सुधार योजना लागू की गई, जिसके अन्तर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को शिशु एवं छोटे बच्चों को आहार देने के कौशलों एवं ज्ञान से सुसज्जित करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया, ताकि वह माताओं को प्रभावी रूप से जागरूक कर परामर्श दे सके।

8. बच्चों, विशेषकर लड़कियों के पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने हेतू उनके भली–भांति पालन–पोषण के प्रति माताओं को प्रोत्साहित करने के लिए 'सर्वोत्तम माता पुरस्कार' योजना लागू की गई। वर्ष 2011–12 में योजना के अन्तर्गत 21.76 लाख रू0 की राशि व्यय कर कुल 3438 माताओं को पुरस्कार दिये गए।

9. ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण एवं विश्वास निर्माण हेतु खण्ड स्तर एवं जिला स्तर पर ग्रामीण महिलाओं को खेल एवं मनोरंजन के अवसर उपलब्ध करवाने हेतु वार्षिक खेल प्रतियोगिता योजना के अन्तर्गत 23.15 लाख रू0 की राशि आई0सी0डी0एस0 योजना के अन्तर्गत खेल प्रतियोगिता तथा पुरस्कारों पर व्यय की गई तथा 3297 महिलाओं को पुरस्कार दिये गये।

10. जैण्डर संवेदनशीलता कार्यक्रम के अन्तर्गत महिला अध्ययन रिर्स्च केन्द्र कुरूक्षेत्र के माध्यम से जिला कुरूक्षेत्र करनाल, पानीपत तथा फरीदाबाद में सभी पंचों एवं सरपंचों, डाक्टरों/स्वास्थ्य कार्यकताओं एवं पुलिस कर्मियों को जैण्डर संवेदनशीलता पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा इन्हीं जिलों में 128 ब्लॉक स्तर पर दों दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया।

11. स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायक अनुदान के रू0 में 709.60 लाख रू0 की वित्तीय सहायता, महिलाओं के लिए प्रशिक्षण केन्द्र चलाने तथा बाल कल्याण गतिविधियां चलाने हेतु प्रदान की गई।

12. राज्य में दहेज प्रतिषेध अधिनियम लागू रहा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम को ओर अधिक प्रभावी रूप से लागू करने के लिए कदम उठाए गए।

13. घरेलू हिसां के विरूद्व सुरक्षा अधिनियम 2005 के अर्न्तगत राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों में संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी नियुक्त किए गए तथा 2299 घरेलू हिंसा तथा 338 बाल विवाह की शिकायतें दर्ज की गई।

14. विभाग द्वारा महिलाओं के विकास एवं सशक्तिकरण के लिए ग्रामीण महिलाओं में जागृति उत्पन्न करने के लिए कई योजनाएं लागू करके महिला मण्डलों को प्रोत्साहित एवं विकसित किया गया। वर्ष 2011–12 के दौरान महिला मण्डलों को उन्नत एवं सुदृढ़ बनाने और महिला मण्डलों को प्रोत्साहन पुरस्कार तथा अन्तर्राज्जीय अध्ययन दौरो पर 108.00 लाख रू0 व्यय किए गए ।

15. पारिवारिक विवादों को शीघ्र निपटाने के लिए, राज्य सरकार द्वारा फरीदाबाद, गुड़गांव हिसार व भिवानी में चार पारिवारिक न्यायलय चरणबद्व तरीके से स्थापित करने के लिए स्वीकृत किये गये।

16. महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए हरियाणा महिला विकास निगम महिलाओं के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं स्व–रोजगार हेतु संस्थागत वित्त का प्रबन्ध करता है। निगम को 150.00 लाख रूपए की सबसीडी प्रदान की गई

17. राई सोनीपत में एक राज्य प्रशिक्षण संस्थान जिसे वूमैन एवेयरनैस एण्ड मेनेजमैंट एकादमी ''वामा'' कहा जाता है, को अपग्रेड करके 'क्षेत्रीय स्तरीय जैण्डर प्रशिक्षण संस्थान' चलाया जा रहा है। संस्थान में महिला कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण व जैण्डर संवेदनशीलता पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

18. राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1999–2000 में हरियाणा राज्य महिला आयोग स्थापित किया गया। आयोग द्वारा अत्याचारों से पीड़ित महिलाओं के कष्टों के निवारण के लिए कदम उठाए गये। 2011–12 में राज्य सरकार द्वारा आयोग को 52.00 लाख रू0 की राशि प्रदान की गई।

19 महिलाओं के सम्माजिक, आर्थिक एवं शैक्षिणक सशक्तिकरण के उद्देश्य से माननीय मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में राज्य मिशन की स्थापना की गई है।

20. वर्ष के दौरान हरियाणा राज्य समाज कल्याण बोर्ड को मुख्यालय स्थापना तथा चैयरमैन के भत्तों आदि के व्यय के लिए 35.72 लाख रूपये का सहायक अनुदान जारी किया गया ।

चण्डीगढ़, दिनांक

(पी. राघवेन्द्र राव)
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
महिला एवं बाल विकास विभाग।

समालोचना

महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा द्वारा महिलाओं, बच्चों और किशोरी बालिकाओं की स्थिति में सुधार लाने हेतु कई कार्यक्रम एवं योजनाएं लागू की गई जिनके अन्तर्गत उनको विभिन्न प्रकार की सेवाएं एवं सुविधाएं प्रदान की गई।

राज्य में घटते लिंगानुपात की समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक प्रोत्साहन आधारित योजना (लाडली) प्रारम्भ की गई, जिसके अन्तर्गत 20–8–2005 को या इसके बाद परिवार में पैदा हुई दूसरी बेटी के जन्म पर 5,000/–रू0 की राशि 5 वर्ष तक प्रति वर्ष किसान विकास पत्रों' में निवेश की जाती है जो कि 18 वर्ष बाद परिपक्व राशि, लगभग 96000/–रू0 दी जाएगी।

बालिकाओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए 'ग्रामीण किशोर बालिकाओं को पुरस्कार' की योजना लागू की गई।

बच्चों में कुपोषण को समाप्त करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को शिशु एवं छोटे बच्चों को आहार देने के कौशलों एवं ज्ञान से सुसज्जित करने के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया गया।

'सर्वोत्तम माता पुरस्कार' योजना लागू की गई, जिसके अन्तर्गत माताओं को बच्चों विशेषकर लड़कियों की अच्छी देखभाल करने पर पुरस्कार दिए जाते हैं।

वार्षिक ग्रामीण महिला खेल प्रतियोगिता की योजना ग्रामीण महिलाओं को खेल एवं मनोरंजन के अवसर उपलब्ध कराने के लिए लागू की गई।

पंचों एवं सरपंचों, डाक्टरों/स्वास्थ्य अमले एवं पुलिस कर्मियों को जैण्डर संवेदनशीलता पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

समेकित बाल विकास सेवायें योजना जोकि बाल विकास की सबसे बड़ी योजना है, राज्य में 18 शहरी खण्डों सहित 148 खण्डों में लागू रही, जिसके अन्तर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 6 मास से 6 वर्ष तक आयु के बच्चों एवं गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं को पूरक पोषाहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जाँच, संदर्भित सेवायें, स्वास्थ्य एवं पोषाहार शिक्षा एवं अनौपचारिक पूर्व स्कूली शिक्षा की सेवाएं एक पैकेज के रूप में प्रदान की गई।

राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत व इसकी उप समिति को उनके कार्यो के प्रभावी रूप से निस्पादन में आवश्यक सहायता देने के लिए प्रत्येक गांव में समस्त शिक्षित महिलाओं की 'साक्षर महिला समुह' (एस0 एम0 एस0) नामक पंजीकृत स्वैच्छिक संस्था गठित की गई। यह साक्षर महिला समूह गांव में मुख्य सामाजिक मुद्दे जैसा कि लिंग अनुपात, साक्षरता, प्राथमिक शिक्षा का सर्वभौमीकरण, स्वास्थ्य तथा पोषाहार शिक्षण, महिलाओं का आर्थिक सशिक्तकरण, स्वच्छता एवं सफाई, पर्यावरण व सरकार द्वारा चलाई जा रही महिलाओं/बालिकाओं/बच्चों एवं ग्रामीण समुदाय के विकास की योजनाओं आदि के बारे जागृति पैदा करते हैं।

आई.सी.डी.एस.सेवाओं में अनुकरणीय कार्य करने के दृष्टिगत 26 चयनित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 5000/– रू0 की दर से राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किये गए।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व हैल्परों का भारतीय जीवन बीमा निगम की 'आंगनवाड़ी कार्यकत्री बीमा योजना' नामक योजना के अन्तर्गत बीमा करवाया गया।

आई.सी.डी.एस. योजना के कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के अर्न्तगत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्रों एवं एक मध्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र को फण्डस जारी किए गए।

आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवनों के निर्माण की योजना लागू रही, जिसके अन्तर्गत अतिरिक्त उपायुक्तों को भवनों के निर्माण के लिए राशि राज्य स्तर पर जारी की गई।

लिंग अनुपात तथा पोषण स्तर में सुधार लाने वाले जिलों के लिए प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार दिए गए।

किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए 128 आई. सी.डी. एस. प्रोजैक्टों में किशोरी शक्ति योजना चलाई गई। इस योजना के अन्तर्गत किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषाहार एवं विभिन्न विषयों पर जीवन विकास निपुणताओं पर प्रशिक्षण दिया गया।

किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना (सबला) राज्य के छः जिलों अम्बाला, हिसार, रिवाड़ी, रोहतक, यमुनानगर तथा कैथल में लागू की गई है ।

स्वैच्छिक संस्थाओं को महिलाओं के लिए प्रशिक्षण केन्द्र एवं बाल कल्याण गतिविधियां चलाने हेतू सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

राज्य में दहेज प्रतिषेध अधिनियम को ओर अधिक प्रभावी रूप से लागू करने के लिए कदम उठाए गए। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के अर्न्तगत राज्यों में पीड़ित व्यक्तियों को आवश्यक सहायता प्रदान करने हेतू राज्य सरकार द्वारा संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारियों को नियुक्त किया गया व सेवा प्रदाताओं को पंजीकृत किया गया।

सामाजिक बुराईयों जैसा कि दहेज, कन्या भ्रूण हत्या तथा बाल विवाह के प्रति जागृति जागरण की गतिविधियों व विभागीय योजनाओं का प्रचार पोस्टर/पम्फलैट, के द्वारा तथा प्रैस नोट आदि जारी करके किया गया।

हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा महिलाओं के लिए स्व–रोजगार हेतु महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। निगम द्वारा ऋण योजना के अंतर्गत लड़कियों/महिलाओं को उच्च शिक्षा के लिए ऋण उपलब्ध करवाये गये।

महिलाओं के सम्माजिक, आर्थिक एवं शैक्षिणक सशक्तिकरण के उद्देश्य से माननीय मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में राज्य मिशन की स्थापना की गई है।

राज्य में किशोर न्याय (बालकों की देख रेख एवं संरक्षण अधिनियम 2006 लागू है।)

चण्डीगढ़, दिनांक

(पी. राघवेन्द्र राव)
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
महिला एवं बाल विकास विभाग।